# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

**(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)**

**नजरसानी प्रा0पत्र संख्याः—17/2019/ (2019/00017)**

1. सांवरलाल उर्फ सावंतराम पुत्र पांचू, जाति जाट, नि0ग्राम मांगलियावास, जिला अजमेर ।

**प्रार्थी**

**बनाम**

1. हरीशचन्द्र पुत्र जवाहरमल, जाति जाट,
2. हरनाथ पुत्र जवाहरमल, जाति जाट,
3. जीवन पुत्र श्योबक्श, जाति जाट,
4. मुन्नालाल पुत्र रामकरण, जाति जाट,
5. बाबूलाल पुत्र नारायण, जाति प्रजापत,
6. महेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र सत्यनारायण शर्मा, जाति ब्राहमण, निवासीगण मांगलियावास, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पीसांगन, जिला अजमेर ।
8. पांचूराम पुत्र गम्भीरा, जाति जाट, निवासी ग्राम मांगलियावास, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर ।

अप्रार्थीगण

**नजरसानी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 86 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय बी0एल0मेहरड़ा, राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर दिनांक 20.12.2018 अंतर्गत अपील संख्या 1/2015 उनवानी सांवरललाल उर्फ सांवतराम बनाम हरीशचन्द्र व अन्य .**

**उपस्थितः—**

1. श्री रामसुख चौधरी, वकील प्रार्थी ।
2. श्री शुभकरण चौधरी, वकील अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 .
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार अप्रार्थी संख्या 7.

## निर्णय

**दिनांकः— 19.7.2019**

1. प्रार्थीगण ने यह नजरसानी प्रार्थना पत्र हाजा न्यायालय द्वारा अपील संख्या 1/2015 बउनवान सांवरलाल उर्फ सांवतराम बनाम हरीशचन्द्र व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 20.12.2018 के विरूद्ध पेश किया है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने हाजा न्यायालय में विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, शहर, अजमेर के आदेश दिनांक 19.12.2014 प्रकरण संख्या 8/2012 के विरूद्ध अपील संख्या 1/2015/75 (2015/00054) बउनवान सांवरलाल उर्फ सांवतराम बनाम हरीशचंद्र व अन्य हाजा न्यायालय के समक्ष पेश की जिसे हाजा न्यायालय ने निर्णय दिनांक 20.12.2018 द्वारा प्रार्थी की अपील खारिज करने के आदेश पारित किये । हाजा न्यायालय के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर प्रार्थी ने यह नजरसानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश किया है ।

3. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थीगण के उपस्थित होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए बहस में कथन किया कि हाजा न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम के विपरीत होने से निरस्तनीय है । प्रार्थी ने हाजा न्यायालय के समक्ष विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, शहर, अजमेर के आदेश दिनांक 19.12.2014 को अपील संख्या 1/2015/75 (2015/00054) बउनवान सांवरलाल उर्फ सांवतराम बनाम हरीशचंद्र व अन्य पेश की थी जिसमें हाजा न्याया0 ने दिनांक 1.1.2015 को दर्ज रजिस्टर कर विवादित आराजियात की तहसीलदार, पीसांगन से मौका रिपोर्ट तलब करने एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 7 को जरिये सम्मन तलब करने एवं अधी0न्याया0 का रिकार्ड तलब करने के आदेश पारित किये थे जिसकी अनुपालना में तहसीलदार, पीसांगन के पत्र क्रमांक 1163 दिनांक 1.6. 2015 को रिपोर्ट प्राप्त हुई । इसी प्रकार अपीलाधीन आदेश दिनांक 19. 12.2014 की पत्रावली संख्या 8/2012 हाजा न्यायालय को दिनांक 28.8. 2015 को प्राप्त हुई तत्पश्चात् उक्त प्रकरण में एक आवेदन अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 अप्रार्थी संख्या 8 की ओर से जरिये अभिभाषक दिनांक 31.12.2015 को पेश हुआ जिस पर बाद सुनवाई प्रार्थना पत्र दिनांक 21.1.2016 को स्वीकार किया गया । तत्पश्चात् हाजा न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र पर पारित आदेश दिनांक 21.1.2016 के विरूद्ध निगरानी संख्या 752/2016 बउनवानी सांवरलाल उर्फ सांवतराम बनाम हरीशचंद्र मान0 राजस्व मण्डल में पेश किये जाने पर मान0 मण्डल ने हाजा न्यायालय की पत्रावली तथा अधी0न्याया0 की पत्रावलियां तलब की जिस पर हाजा न्यायालय द्वारा हाजा न्याया0 की अपील पत्रावली मान0 मण्डल को तथा अधी0न्याया0 की पत्रावली दिनांक 15.9.2016 को अधी0न्याया0 को भिजवा दी गई । जिसकी पुष्टि हाजा न्याया0 की अपील पत्रावली की आदेशिका से होती है । इसके बावजूद हाजा न्यायाल0 ने विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, शहर, अजमेर की पत्रावली संख्या 8/2012 को पुनः तलब नहीं कर बिना अधी0न्याया0 की पत्रावली के ही अपील को दिनांक 20.12.2018 को निर्णित कर अपील खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है । जबकि राजस्थान भू–राजस्व अधि0 1956 की धारा 80 के तहत प्रथम अपीलीय न्यायालय को अधी0न्याया0 की पत्रावली तलब करने के संबंध में आज्ञापक प्रावधान है । उक्त आज्ञापक प्रावधान को नजरअदांज कर हाजा न्याया0 ने जो निर्णय पारित किया है वह एरर अपेरेंट ऑन दॉ फेस ऑफ रिकार्ड होकर काबिल निरस्तनीय है । इस संबंध में विद्वान वकील प्रार्थी ने मान0 राजस्व मण्डल राज0 द्वारा 1994 आर0आर0डी0 पेज 11, 2001 आर0बी0जे0 पेज 174, आर0एल0डब्ल्यू0 2006 पार्ट–1 पेज 120, आर0एल0डब्ल्यू0 2008 पेज 190 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये । बहस में आगे कथन किया कि हाजा न्याया0 ने पत्रावली पर उपलबध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर विवेचन व विश्लेषण किये बिना अपील को खारिज किया है जो नजरसानी के माध्यम से निरस्तनीय है । हाजा न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण में अप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 की ओर से दिनांक 5.8.2015 को वकील विजेन्द्रसिंह चौधरी अण्डरटेकिंग दी गई थी तत्पश्चात् दिनांक 28.8.2015 को अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 की ओर से वकील विजेन्द्रसिंह चौधरी द्वारा वकालतनामा पेश किया इसके बाद उक्त प्रकरण में किसी अन्य अभिभाषक द्वारा कोई अभिभाषक पत्र या मीमो ऑफ अपीरियन्स अप्रार्थीगण की ओर से पेश नही की गई । तत्पश्चात् अप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 की ओर से अभिभाषक श्री शुभकरण सिंह चौधरी ने उक्त प्रकरण में पैरोकारी करना एवं बहस करने के संबंध में जो अंकन किया है वह

प्रथमदृष्टया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होकर उक्त नजरसानी के माध्यम से निरस्तनीय है। अतः नजरसानी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर हाजा न्यायालय द्वारा अपील संख्या 1/2015 बउनवान सांवरलाल उर्फ सांवतराम बनाम हरीशचन्द्र व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 20.12.2018 निरस्त किया जावे तथा उक्त अपील को पुनः नंबर पर लिया जाकर अपील को विधिनुसार निर्णित करने के आदेश पारित करे ।

5. विद्वान वकील अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 के निर्णय दिनाक 19.12.2014 की प्रति अपील के साथ प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई थी एवं प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई तथ्य नहीं बताया की विद्वान अतिरिक्त कलक्टर, शहर, अजमेर की पत्रावली संख्या 8/2012 में महत्वपूर्ण साक्ष्य थी जिसको तलब किया जाना आवश्यक था एवं उस महत्वपूर्ण साक्ष्य का हाजा न्यायालय द्वारा अवलोकन किया जाता तो निर्णय दिनांक 20.12.2018 पारित नहीं होता व निर्णय की गुणवत्ता प्रभावित होती अथवा उस साक्ष्य के आधार पर निर्णय भिन्न होता । यह भी तर्क दिया कि बरवक्त बहस प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह ऐतराज नहीं लिया गया गया जबकि उस समय प्रार्थी द्वारा ये ऐतराज लिया जा सकता था ं यह भी कथन किया कि अपील एवं नजरसानी में बहुत बारीक अंतर होता है, कोई आधार अपील का आधार हो सकता है लेकिन वो आधार नजरसानी का नहीं हो सकता है । प्रार्थी द्वारा लिये गये नजरसानी के आधार अविधिक होने से नजरसानी प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है । अतः नजरसानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे । विद्वान वकील अप्रार्थीगण ने अपने कथनों के समर्थन में आर0एल0डब्ल्यू0 2005 (2) आर0जे0 हाई कोर्ट पेज 187, आर0बी0जे0 2005 पेज 49, आर0आर0टी0 2005 (1) सुप्रीम कोर्ट पेज 545 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

6. हमनें उभयपक्ष बहस अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र, हाजा न्यायालय के निर्णय दिनांक 20.12.2018 एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । प्रार्थी अधिवक्ता का मुख्य तर्क यह है कि हाजा न्याया0 द्वारा प्रकरण संख्या 1/2015 उनवानी सांवरलाल उर्फ सांवतराम बनाम हरीशचंद व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 20.12.2018 बिना अधी0न्याया0 विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, शहर, अजमेर की पत्रावली संख्या 8/2012 (पुराना 15/11) निर्णय दिनांक 19.12.2014 को तलब किये बिना ही निर्णय दिनांक 20.12.2018 को पारित किया है जो कि राजस्थान भू–राजस्व अधि0 1956 की धारा 80 के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत होने से एरर अपेरेंट ऑन दॉ फेस ऑफ रिकार्ड है, इस कारण हाजा न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.12.2018 निरस्त किया जाकर अपील में पुनः सुनवाई की जावे ।

7. इस संबंध में हम विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण के इस कथन से सहमत है कि नजरसानी एवं अपील में बहुत बारीक अंतर होता है । कोई भी आधार अपील का आधार हो सकता है परन्तु नजरसानी का आधार नहीं हो सकता है । इस संबंध में आर0आर0टी0 2005 (1) सुप्रीम कोर्ट पेज 545 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि '' View taken in the judgment may be erroneous but can not be a ground for review ''

8. हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा आज्ञापक प्रावधान धारा 80 भूराजस्व अधि0 आधार पर यह नजरसानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि हाजा न्याया0 द्वारा दिनांक 20.12.2018 का निर्णय बिना अधी0न्याया0 विद्वान अतिरिक्त कलक्टर, शहर, अजमेर की पत्रावली संख्या 8/2012 तलब किये बिना ही निर्णय दिनांक 20.12.2018 को पारित किया है इस कारण नजरसानी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण की पुनः सुनवाई की जावे । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है पूर्व पारित निर्णय दिनांक 20.12.2018 की अपील

पत्रावली में प्रार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करते समय विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, शहर, अजमेर के निर्णय दिनांक 19.12.2014 की प्रति पेश की गई थी जो संलग्न अपील पत्रावली है । हाजा न्यायालय ने इस आधार पर निर्णय पारित किया है परन्तु प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने नजरसानी प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई तथ्य नहीं बताया कि अधी0न्याया0 की पत्रावली संख्या 8/2012 में ऐसा कोई महत्वपूर्ण साक्ष्य थी एवं यदि अधी0न्याया0 की उस पत्रावली को तलब किया जाता एवं उस साक्ष्य का अवलोकन किया जाता तो हाजा न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.12.2018 पूर्व पारित निर्णय से भिन्न होता । उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा नजरसानी प्रार्थना पत्र में लिये गये नजरसानी के आधार विधिसम्मत् नहीं होने से नजसानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि बरवक्त बहस अपील अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई उज्र नहीं लिया गया और यह उज्र अब नजरसानी के माध्यम से उठाया जा रहा है जो कि स्वीकार्य नहीं है । अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर0एल0डब्ल्यू0 2005 (2) आर0जे0 पेज 187 में भी यही निर्धारित किया गया है कि नजरसानी का क्षेत्र बहुत ही सीमित है तथा त्रुटिपूर्ण निर्णय को पुनः सुनना एवं उसे सही करने की अनुमति नहीं देता है । प्रार्थी दस्तावेजी साक्ष्यों से नजरसानी प्रार्थना पत्र साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है ।

9. उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरसानी प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज योग्य पाया जाता है ।

10. अतः अपील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नजरसानी प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है तथा हाजा न्यायालय द्वारा अपील संख्या 1/2015 बउनवान सांवरलाल उर्फ सांवतराम बनाम हरीशचन्द्र व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 20.12.2018 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

**(बी0एल0मेहरड़ा)**
**राजस्व अपील प्राधिकारी,**
**अजमेर**

11. निर्णय आज दिनांक 19.7.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

**(बी0एल0मेहरड़ा)**
**राजस्व अपील प्राधिकारी,**
**अजमेर**